□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 994
07 □□□□□, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न □□ □त्त□

राजस्थान के अस्पतालों म शिशुओं को मौत

994. श्री गजानन कोर्तिकरः

श्र□ □□□□□ □□□ ि□□ '□□□':
श्र□ □□□□□□ □□□□□□
श्र□□□□ □□□□□ □□□□□
श्र□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
श्र□ श्र□□□ □प□□ □□□□□
श्र□ □□□ □□□□□
श्री गोपाल शेट्टीः
श्र□ □□□□□ □न□ □□□□□
श्र□ □□द्यु□ □□□ □□□□□
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या स्वास्थ्य और परिवार □ल□□□ □त्र□ यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या राजस्थान के कोटा जिले के अस्पतालों से केवल दिसंबर माह म ही 100 से अधिक बच्चों और वष 2019 म 1000 से अधिक बच्चों को मृत्यु के मामले सामने आए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ख) इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/डॉक्टरों के विरुद्ध क्या कारवाई को गई है;

(ग) क्या कद्र सरकार द्वारा इस घटना को जांच करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों सहित एक उच्चस्तरीय टीम का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उच्चस्तरीय टीम के निष्कष क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कोटा के एक राजकोय अस्पताल म 100 से अधिक बच्चों को मृत्यु पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने और इस संबंध म राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(छ) क्या मृतक बच्चों के परिवारों को किसी मुआवजा राशि का आदेश दिया गया है/प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>□त्त□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क): राज्य सरकार द्वारा प्रदान को गई रिपोट के अनुसार, जे. के. लोने हॉस्पिटल कोटने ने दिसम्बर, 2019 म 100 बच्चों को मृत्यु और वष 2019 म 1000 से अधिक बच्चों को मृत्यु का रिकॉड दिया है।

बताई गई मृत्यु के विभिन्न कारम हैः

होपोक्सिक इस्कोमिक एन्सेफॉलोपैथी (एचआईई) के साथ गंभीर जन्म एसफिक्सिया, प्रीमैच्योरिटी, रिस्पेटिरी डिस्ट्रैस सिन्ड्रोम (आरडीएस), सेपसिस, कॉन्गानिटल न्यूमोनिया, कॉन्गनिटल एसपीरेटरी सिड्रोम (एमएएस), मेकोनियम एसपीरेटरी सिन्ड्रोम (एमएएस), एसपीरेशन न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, सोप्टिसेमिया, मैनिनजियोनसेफेलाईटिस, थैलेसीमिया, मल्टी ऑगन डिस्फंक्शन सिन्ड्रोम आदि।

(ख): राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोट के अनुसार, जे. के. लोने अस्पताल के अधीक्षक को अस्पताल म पाई गई कतिपय कमियों के मद्देनजर हटा दिया गया है।

(ग) एवं (घ): एम्स, जोधपुर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से विशेषज्ञों को शामिल करके एक केन्द्रीय टीम को राजस्थान के कोटा जिले म जे. के. लोने हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज म 3 और 4 जनवरी, 2020 के दौरे के लिए नियुक्त किया गया था।

1. जे. के. लोने हॉस्पिटल म बताई गई 100 मौतों म से 70 मौत नियोनटल इंटेसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) और 30 मौत पियर्डरिक इंटेसिव केयर यूनिट (पीआईसीयू)/पियर्डरिक वाड म हुई थी।

2. नियोनेट्स को अधिकता म जो मौत हुई उनमं कम जन्म वजन और 63 प्रतिशत मौत भर्ती होने म 24 घंटे से भी कम समय था। मृत्यु ममलों को अधिकता होने का कारण जिला अस्पताल बंदी और जिला अस्पताल बरन से रेफर हुए मामले थे।

3. बिस्तरों को साझा करने के परिणाम से एनआईयूयू को बेड ऑक्यूपसी दर 125 प्रतिशत थी और पीआईसीयू म 186 प्रतिशत थी।

4. एनआईसीयू और पीआईसीयू के लिए बेड नस दर 2:1 के नाम को तुलना म क्रमश 10:1 और 6:1 थी।

5. अस्पताल म ज्यातादर उपकरण गैर-कायशील थे और उनके रखरखाव केले कोई नीति नहों थी।

6. दल ने उप जिला स्तर पर प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य परिचया सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के अलावा अवसंरचना के सशक्तिकरम, अपयाप्त जनशक्ति और मानक नैदानिक प्रोटोकॉल के प्रयोग को सिफारिश को थी।

(ङ): राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिनांक 13 जनवरी, 2020 को जे.के. लोन सरकारी अस्पताल, कोटा राजस्थान म बच्चों को मौतों को घटना के संबंध म राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को इस विषय के बारे म और मुद्दों के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध म विस्तृत रिपोट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

राज्य सरकार ने दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रस्तुत किया जिसम मौतों का विवरण और राज्य सरकार द्वार अविलम्ब किए गए विभिन्न सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा दिया तथा आयोग को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अस्पताल म भर्ती बच्चों को गुणवत्तापूण चिकित्सा परिचया प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध है।

(च): जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल के राज्य का विषय होने के नाते कोटा अस्पताल सहित राज्य म स्वास्थ्य परिचया सेवाएं प्रदान करने को प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार को है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतगत राज्यों को उनको कायक्रम कायान्वयन योजनाओं (पीआईपी) म राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनको स्वास्थ्य परिचया प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान किया जाता है जिसम अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा पयाप्त जनशक्ति सम्मिलित है। राष्ट्रीय कायक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) को बैठकों म इन पीआईपी का मूल्यांकन किया जाता है और प्रक्रियाओं के रिकॉड (आरओपी) के रूप म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, बाल मृत्यु दर एवं रुग्णता के समाधान के लिए भारत सरकार पुनरजनन, मातृत्व, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएचए+एन) काय नीति के कायान्वयन म सहयोग कर रही है।

आरएमएनसीएचए+एन कायनीति के तहत विभिनन क्रियाकलाप निम्नवत ह:

(1) सभी प्रसव स्थलों पर अनिवाय नवजात परिचया सुदृढ़ करना, विशेष नवजात परिचया एकक (एसएनसीयू), नवजात स्थिरीकरण एकक (एनबीएसयू) तथा रूग्ण एवं छोटे बच्चों को परिचया के लिए कंगारू माता परिचया (केएमसी) को स्थापना करना।

(2) बाल लालन-पोषण संबंधी परिपाटियों म सुधार लाने के लिए आशाओं द्वारा गृह-आधारित नवजात परिचया (एचबीएनसी) तथा गृह आधारित युवा बाल परिचया (एचबीवाईसी) प्रदान को जा रही है।

(3) महिला और बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से स्तनपान जल्दी शुरू करवाने तथा पहले छह माह म अनन्य रूप से स्तनपान करवाने के लिए एवं नवजात तथा छोटे बच्चों को आहार संबंधी परिपाटियों (आईवाईसीएफ) को मां का असीम स्नेह (मां) के तहत बढ़ावा दिया जाता है।

(4) भारत सरकार ने सामूहिक पद्धित म सभी महत्वपूण हितधारकों के नियोजन द्वारा भारत म कुपोषण को चुनौतियों के समाधान के लिए पोषण अभियान (समग्र पोषण संबंधी प्रधान मंत्री व्यापक योजना) को शुरुआत को है।

(5) चिकित्सीय जटिलताओं के साथ भर्ती किए गए गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित बच्चों के उपचार और प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य कद्रों म पोषण पुनवास कद्रों (एनआरसी) को स्थापना को गई है।

(6) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतगत नकद प्रोत्साहन राशि के जरिए संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना और जननी शिशु सुरक्षा कायक्रम (जेएसएसके), जिसम सरकारी स्वास्थ्य कद्रों म प्रसव कराने वाली सभी गभवती महिलाएं पूणत: निशुल्क प्रसव-पूव जांचों, सिजेरियन सेक्शन सहित प्रसव, प्रसवोत्तर परिचया एवं बीमार बच्चों का उपचार एक वष तक करवाने हेतु पात्र होती ह। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना

योजना (पीएमएमवीवाई) एक अन्य मातृ लाभ कायक्रम है जिसके अंतगत गभवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

(7) इसके अलावा, सहयोगात्मक पयवेक्षण प्रदान करने केलिए विभिन्न राज्यों हेतु नियमित समीक्षाएं व फील्ड दौरे किए जाते ह।

(छ): जी नहीं।

*****